भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5575

जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 मार्च, 2026/06 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना

5575. प्रो. सौगत राय:
श्री किशोरी लाल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कच्चे माल की बढ़ती वैश्विक कीमतों के मद्देनजर उर्वरकों पर सब्सिडी में वृद्धि की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने का विचार है कि इसका लाभ लघु और सीमांत किसानों तक पहुंचे?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): किसानों को यूरिया, उत्पादन की लागत पर ध्यान दिए बिना, सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। 45 किग्रा यूरिया की प्रत्येक बोरी का सब्सिडीकृत एमआरपी 242 रुपए (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के मामले में, सरकार ने 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत, सब्सिडी वाले पीएंडके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटेशियम (के) और सल्फर (एस) की मात्रा के आधार पर उत्पादक /आयातक को वार्षिक/ छमाही आधार पर तय सब्सिडी की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। किसानों को पीएंडके उर्वरकों की किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और इनमें उतार-चढ़ाव यदि कोई हो, की निगरानी करती है और पीएंडके उर्वरकों के लिए एनबीएस दरों को तय करते समय इनको आधार रूप में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, वहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए, 'अन्य लागतें' जिसमें फैक्ट्री गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में

वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान शामिल हैं, को कवर करने के लिए 3500 रुपये प्रति एमटी, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर पर उचित रिटर्न का प्रावधान जैसे विशेष प्रावधान खरीफ 2025 और रबी 2025-26 मौसम के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा आयातित और घरेलू डीएपी दोनों और आयातित टीएसपी के लिए प्रदान किए गए हैं। एनबीएस नीति देश भर में समान रूप से लागू है और लघु और सीमांत किसानों सहित सभी खरीदारों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरक प्रदान किए जाते हैं। पिछले चार मौसमों के लिए पोषक तत्व-वार एनबीएस सब्सिडी दरों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने मार्च, 2018 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लागू किया है। डीबीटी प्रणाली के तहत, सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री उर्वरकों की खुदरा दुकान पर स्थापित प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर क्रेता को की जाती है। उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान पीओएस बिक्री के आधार पर साप्ताहिक तौर पर किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों का लाभ लघु और सीमांत किसानों सहित देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे।

यह अनुलग्नक दिनांक 27.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5575 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित है।

पोषक तत्व-वार एनबीएस सब्सिडी दरों का विवरण

(रुपए प्रति किलोग्राम में)

पोषक तत्व	खरीफ 2024-25	रबी 2024-25	खरीफ 2025	रबी 2025-26
एन	47.02	43.02	43.02	43.02
पी	28.72	30.80	43.60	47.96
के	2.38	2.38	2.38	2.38
एस	1.89	1.76	2.61	2.87